(b) whether it is a fact that they have not been paid their wages by the contractor and if so, the details thereof; and

(c) the action proposed by Government so that the labour is paid their dues and the action taken against the defaulting contractor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) Approximately 500 workers are working at the site.

(b) A complaint was received by the Labour Commissioner, Delhi, from the sub-contractor against the contractor, on the 11th March, 1981, alleging that 220 workers had not been paid their dues.

(c) The Labour Commissioner, Delhi, had held discussions with the parties concerned for settlement of the dispute. Further discussions are proposed to be held.

Additional Satellite Facilities for Relaying Television Programmes from Foreign Countries

5952. SHRIMATI MADHURI SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any additional Satellite facilities are proposed to be installed for relaying Television Programmes from other countries for viewers in India; and

(b) if so, the details of negotiations with various countries in this regard and the likely date by which facilities would become available?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Decentralisation of Scheme of Provident Fund

5953. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal to decentralise the scheme of Provident Fund; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) and (b). The Employees Provident Fund Review Committee headed by Shri G. Ramanujam has made certain recommendations for decentralisation of the work of the Provident Fund Organisation. The recommendations of the Committee were laid on the Table of the House on 18th March, 1981 in reply to Unstarred Question No. 4076. The recommendations are under consideration of Government.

दिल्ली में अवैध शराब के व्यापारी

5954. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झंडेवालान के अवैध शराब के व्यापारी का क्या नाम है तथा दिल्ली में उसके अधिकार में सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस व्यक्ति के खिलाफ "बावेजा आयोग" ने क्या टिप्पणियां की हैं ;

(ग) बावेजा आयोग की सिफारिशों पर पुलिस तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ,

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि झंडेवालान के अवैध शराब विक्रेता का नाम श्री बलराम किशन उर्फ बलराम सुपुत्र श्री कुन्दन लाल है । उसके अधिकार में सम्पत्ति के ब्यौरे इस समय प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु उनको मालूम करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ख) बावेजा आयोग ने अपने प्रतिवेदन मे श्री बलराम किशन के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया था ।

(ग) तथा (घ). बावेजा आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें ये थीं कि देशी शराब के विक्रेताओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और दिल्ली में देशी शराब के मूल्य साथ वाले राज्यों मे शराब के मूल्यों मे से अधिक नहीं होने चाहिये । इन सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है । 1972 में शराब की दो दुकानों के मुकाबले अब शराब की 7 दुकानें हैं । दिल्ली में देशी शराब का मूल्य भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश मे देशी शराब के मूल्य से कम है । अन्य सिफारिशें जो निम्नलिखित से संबंधित है को भी कार्यान्वित किया जा चुका है । बिक्री से पहले औद्योगिक/डिनेचर्ड स्पिरिट के निरीक्षण/रासायनिक जांच, इसके वितरण और बिक्री को विनियमित करना, स्प्रिट के लाइसेंस धारकों के स्टाक और बिक्री के रिकार्ड की बार-बार जांच करना, सिथन्नर और मेथाइल एलकोहल की बिक्री और वितरण को विनियमित करना, स्प्रिटों पर आबकारी शुल्क बढ़ाना, एक समन्वय समिति गठन करना जो पुलिस पर यह दबाव डाले कि आबकारी कानून के अधीन अपराधों को रोकना, उनका पता लगाना और उनकी जांच पड़ताल करना उनके मुख्य कर्तव्य हैं और जहरीली शराब पीने की बुराइयों/खतरों का जनसाधारण में प्रचार करना ।

मध्य प्रदेश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

5955. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखानों तथा मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं और प्रस्तावित कारखानों के नामों, उनके स्थानों तथा प्रस्तावित क्षमता का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त प्रस्ताव सरकार को किस किस तारीख को पेश किये गये थे, और उनको मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख). ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।